फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

ललित कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी. नम्बर 02 सन् 2022

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2022	प्रार्थीगण ललित कुमार पुत्र जगदीश राय अरोड़ा निवासी श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 60/51 के मु.न. 1, 2 की कुल 5.186 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में यदि अप्रार्थीगण या अन्य किसी भी काश्तकार द्वारा कोई वाद, स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थीगण को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो। तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर 4/5/22 आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि के संबंध मे वादपत्र अन्तर्गत धारा [illegible] पेश करने पर पेशी मे ली गई। कैवियट प्रार्थना पत्र 148(क) CPC प्र.सं. 50/2022 [illegible] बनाम ललित कुमार आदि के साथ नत्थी की जावे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)